

फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा


कंचन देवी बनाम रामस्वरूप वगै०

मुकदमा- दावा उद्घोषणा तकारमा एवं स्थायी निषे०

मु०नं०-

284/2021

सीन अधिकारी- श्री राकेश कुमार मीना (आर०ए०एस०)

क्र.सं. हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1.2024	<p>पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा न्यायालय हाजा द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री की पालना में कार्यालय उप तहसीलदार सिकन्दरा के पत्रांक भू०अ०/2023/561 दिनांक 25.09.2023 द्वारा कुर्रैजात प्रस्ताव तैयार कर पेश किए जा चुके हैं। उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा कुर्रैजात प्रस्ताव सही होना जाहिर किया गया है। वादीया अधिवक्ता द्वारा मुताबिक कुर्रैजात प्रस्ताव अंतिम डिक्री जारी किए जाने का निवेदन किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण का ध्यानपूर्वक मनन किया गया। पत्रावली एवं कुर्रैजात प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। कुर्रैजात प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर दावा अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः उप तहसीलदार सिकन्दरा के पत्रांक भू०अ०/2023/561 दिनांक 25.09.2023 द्वारा पेश कुर्रैजात प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर दावा वादीया मुताबिक कुर्रैजात प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है। कुर्रैजात प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेंगे। उप तहसीलदार सिकन्दरा मुताबिक कुर्रैजात प्रस्ताव राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी हो। उप तहसीलदार सिकन्दरा को पालना हेतु तहरीर जारी हो।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 03.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
सिकराय (दौसा)